



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-३१ / २०१५-५७८ दिनांक : २०.०६.२०१९

प्रेषक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा

वन संरक्षक,  
वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन,  
राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में कार्यान्वयित की जाने वाली “प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल रु० ३.३६० लाख (तीन लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-५०/२०१५-०८/स्वी० व०प० दिनांक १२.०६.२०१५ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/यो०बजट-५०/२०१५-५०/आ० व०प० दिनांक ०३.०६.२०१९ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-२४०६ वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-१०१ वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-६० प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१९-२० में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० ३.३६० लाख (तीन लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	3.186
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	0.174
कुल :-		3.360

२. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ तथा ऑनलाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ एवं पर द्रष्टव्य है।

३. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101600103, 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्समन्वयी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते, छाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**13.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation संसाधन निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**14.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी से पूर्व रोपित पौधों का उत्तरजीविता प्रतिवेदन एवं वर्षवार संकलित आँकड़ों का विषलेशन से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही जीवित पौधों के आधार पर राशि का व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वसभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—31 / 2015—578 दिनांक—20.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—31 / 2015—578 दिनांक—20.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :— वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	vi	vii	viii
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेश्पुर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण, (10 हेटो)	1.062	0.058	1.120
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण (10 हेटो)	1.062	0.058	1.120
3	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, गम्हरिया में साल पौधों का द्रायल वनरोपण (10 हेटो)	1.062	0.058	1.120
योग :-		3.186	0.174	3.360

विभागीय स्वाकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-50 / 2015- 08 / स्वी0 व0प0 दिनांक 12.06.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची



**वित्तीय वर्ष 2019-20 में साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल  
वनरोपण का कार्य दर तालिका (10 हेटो के लिए)**

मजदूरी दर : रु 249.83 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति 10 हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
<b>(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)</b>					
1	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष)	365	91187.95	0.00	91187.95
2	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	50	12491.50	3000.00	15491.50
3	विविध कार्य (घायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	1500.00	1500.00
4	साईन बोर्ड का रख-रखाव आदि कार्य।	10	2498.30	1300.00	3798.30
	योग :-	425	106177.75	5800.00	111977.75

  
प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-B/15/578

दिनांक -

20-Jun-2

क्रमांक	पत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001000103 2406 - वानिकी तथा अन्य उपायी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विभास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	35006	DRNFWL020  SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	318,600.00  रुपये तीन लाख अठारह हजार छ: सौ
2	S 19 240601001000323 2406 - वानिकी तथा अन्य उपायी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विभास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सापरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	35007	DRNFWL020  SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	17,400.00  रुपये स त्र ह हजार चार सौ
योग:				336,000.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन लाख छत्तीस हजार		(SRI VINOD SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	